बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि०/स्था०17–05/2017 311 पटना, दिनांकः 19/12/19

कार्यालय आदेश

श्री सुनील कुमार लाल दास, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, हुसैनगंज, सीवान संप्रति सेवानिवृत कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, दरभंगा के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–979 (नि०को०)/रा० दिनांक–17.10.2017 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक–135 मु०/रा० दिनांक–23.08.2017 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–384 सहपठित ज्ञापांक–2614 दिनांक–27.11.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), सीवान को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीवान को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक–43 मु०/रा० दिनांक–28.03.2018 द्वारा अपर समाहर्त्ता, सीवान को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया जिसे निदेशालय के का०आ०सं०–266 सहपठित ज्ञापांक–1595 दिनांक–31.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–188 सहपठित ज्ञापांक–1321 दिनांक–10.07.2019 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में परिवर्तित किया गया।

श्री सुनील कुमार लाल दास के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i). अंचल कार्यालय हुसैनगंज के विविध वाद सं० 10/2013–14 से तौजी नं०–6807 ग्राम मडकन, खाता नं० 798, खेसरा नं० 2704, 2705, 2959 एवं 2560 मिनजुमले रकवा 10–17–12 धुर भूमि जो हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक है, को वैयक्तिक लाभ के लिये शक्ति प्रदत्त नहीं होने के बावजूद पदीय शक्ति का दुरूपयोग करते हुए जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया गया है।

(ii). वैयक्तिक लाभ के लिए पदीय शक्ति का दुरूपयोग करते हुए जमाबंदी कायम कर सरकारी जमीन की रैयत के नाम लगान रसीद निर्गत करने संबंधी आदेश पारित कर अपने कर्त्तव्य की अवहेलना की गई है। जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को क्षति हुई है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वैयक्तिक लाभ के लिए पदीय हैसियत का गलत प्रयोग, कर्त्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा, और विमुखता जिसके फलस्वरूप सरकार को भारी क्षति उठानी पड़ी है। सरकारी ओदशों के विरूद्ध आचरण, सरकारी सम्पति का दुर्विनियोग, मिथ्या दस्तावेज का निर्माण, कूटरचना जैसा कार्य आपके द्वारा किया गया है। सरकारी जमीन के संरक्षण का दायित्व अंचलाधिकारी की होती है इनके द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए दायित्व का निर्वहन नहीं होना परिलक्षित हो रहा है। यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विपरीत है।

2. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक–116(मु०)/रा० दिनांक– 13.07.2018 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :–

" अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मो०जुबैर अहमद के द्वारा खाता नं०–798, खेसरा नं०–2704, 2705, 2959, 2960 रकवा 5 बीघा की जमाबंदी अपने नाम कायम करने हेतु

0116 स्था० 1(का० आ०) (12 दिसम्बर 2019).

दिये गये आवेदन पर तत्कालीन अंचलाधिकारी, श्री चॉद बिहारी शरण के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अभिलेख पर अभिलेखबद्ध करने के आदेश एवं कार्रवाई पूर्ण की गई थी। जो राजस्व सेवा के अंचलाधिकारी थे। श्री लाल दास, अंचल–हुसैनगंज में अंचलाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। अंचलाधिकारी का प्रथम दायित्व सरकारी संपति का संरक्षण है। इनके द्वारा सरकारी संपति का रक्षा नहीं किया गया है एवं ऐसे कागजात जो अपने आप में प्रमाणिक नहीं है, के आधार पर जमाबंदी खोलने का आदेश पारित कर लगान रसीद निर्गत कराया गया है। जिससे सरकारी संपति की हानि हुई है। इस प्रकार से यह आरोप इन पर प्रमाणित होता है।"

3. संचालन प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के जॉच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–1596 दिनांक–31.07.2018 द्वारा श्री सुनील कुमार लाल दास से अभ्यावेदन/ निवेदन की मॉग की गयी। स्मारित किये जाने के बाद भी श्री सुनील कुमार लाल दास से अभ्यावेदन अप्राप्त रहा। ऐसी स्थिति में श्री सुनील कुमार लाल दास से अभ्यावेदन प्राप्त करने हेतु दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक–07.09.2019 को प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया जिसमें श्री लाल दास को सूचित किया गया कि वे इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर संचालन–सह–जॉच प्रतिवेदन पर अपना अभ्यावेदन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को देना सुनिश्चत करें ; अन्यथा यह माना जायेगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, और निदेशालय एकतरफा अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा । प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित होनें के बावजूद संचालन–सह–जॉच प्रतिवेदन पर श्री सुनील कुमार लाल दास से अभ्यावेदन अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री सुनील कुमार लाल दास अपना अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं।

4. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुनील कुमार लाल दास पर कार्यपालिका नियमावली के नियम 22 एवं बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) तथा 139 में किये गये प्रावधानों के तहत उनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) राशि की कटौती जीवन पर्यन्त करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुनील कुमार लाल दास, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, हुसैनगंज, सीवान संप्रति सेवानिवृत कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, दरभंगा पर कार्यपालिका नियमावली के नियम 22 एवं बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) तथा 139 में किये गये प्रावधानों के तहत उनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) राशि की कटौती जीवन पर्यन्त करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक:– अ०सा०नि०/स्था०17–05/2017 2341 पटना, दिनांक :– 19/12/19

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

0116 स्था0 1(का0आ0) (12 दिसम्बर 2019).

3. उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उनके पत्रांक–979 (नि०को०)/रा० दिनांक–17.10.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, सीवान को उनके पत्रांक–135 मु०/रा० दिनांक–23.08.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला कोषागार पदाधिकारी, सीवान/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति श्री सुनील कुमार लाल दास को तामिला कराते हुए तमिला प्रतिवेदन निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।
8. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10. श्री सुनील कुमार लाल दास, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, हुसैनगंज, सीवान संप्रति सेवानिवृत कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

390